न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 10/2016

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2016/00081

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 छगन पुत्र उदाराम जाति–सुथार, निवासी–डुंगरों का गोलिया, सांचौर, तहसील व जिला–सांचौर		1 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर 2 सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 13.10.2016

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 08.11.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सांचौर पटवार क्षेत्र सांचौर में प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 554/3450 रकबा 0.33 हैक्टेयर का आया हुआ है जिसके पुराना खसरा संख्या 42 थे। उक्त आराजी के पुराना खसरा संख्या 42 रकबा 8 बीघा की किस्म बारानी प्रथम थी व है, लेकिन उक्त खसरा संख्या 42 के नवसृजित खसरा संख्या 554/3450 किये गये है। द्वितीय सेटलमेंट वालों द्वारा पुराने खसरे की किस्म अनुसार ही नवसृजित खसरा नंबर की किस्म अंकित करनी थी, लेकिन द्वितीय सेटलमेंट वालों ने लिपिकीय भूल से बिना किसी आधार, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश प्रार्थी को सुने बिना उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन कर दी, जो पुराने रकबे में वर्णित किस्म दुरूस्ती करवाने का प्रार्थी कानूनी हकदार होने से प्रार्थना–पत्र पेश है। पुराने खसरा नंबर के अनुसार प्रार्थी के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार रकबे, किस्म अनुसार सेटलमेंट अधिकारियों को रेकर्ड तज्वीज करना था लेकिन नहीं कर गलत व विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थी की खातेदारी भूमि की बारानी प्रथम की किस्म को गैर मुमकिन दर्ज कर दी जबकि मौके पर उक्त भूमि गेर मुमकिन के उपयोग में कभी नहीं रही न है। पुराना खसरा नंबर 328 गैर मुमकिन सड़क का वर्गीकरण है जो खसरा संख्या 328 से नवसृजित खसरा संख्या 554/3449 सड़क का भाग है जो पुराने नक्शे में अलग तरमीमसुदा है लेकिन पुराना खसरा संख्या 328, 42 नजदीक सेढ़ा सेढे होने से सेटलमेंट वालों ने खसरा संख्या 554/3450 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैर मुमकिन लिख दी जो विधि विरूद्व व गलत लिखी है। जबकि खसरा नंबर 554/3450 का पुराना खसरा संख्या 328 का सृजित नहीं है, न ही भाग रहा है। ऐसी सूरत में लिपिकीय ... दुरुस्त किया जाना न्यायसंगत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर ... है कि उक्त आराजी के पुराने खसरा संख्या 42 की किस्म बारानी प्रथम के अनुसार अंकित किस्म नवसृजित खसरा संख्या 554/3450 रकबा 0.33 हैक्टैयर में गैर मुमकिन की जगह पूर्व रेकर्ड के अनुसार बारानी प्रथम रेकर्ड दुरूस्ती करते हुए रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 554/3450 रकबा 0.33 हैक्टेयर में मौके पर डामर सड़क सांचौर से हाड़ेचा बनी हुई है इसलिए उक्त खसरा नंबर भूमि की किस्म गैर मुमकिन दर्ज की गई है। मौके पर गैर मुमकिन सड़क होने के कारण खसरा संख्या 554/3450 की किस्म गैर मुमकिन दर्ज जिसे बदला जाना उचित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि पुराना खसरा संख्या 42 रकबा 8 बीघा की किस्म बारानी प्रथम थी लेकिन खसरा संख्या 42 के नवसृजित खसरा संख्या 554/3450 द्वितीय सेटलमेंट वालों ने पुराने खसरे की किस्म अनुसार नये सृजित खसरा नंबर की किस्म अंकित नहीं कर उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन कर दी जो पुराने रकबे में वर्णित किस्म अनुसार नये रकबे की किस्म पूर्व रेकर्ड अनुसार बारानी प्रथम कर रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश फरमावें।

राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 554/3450 रकबा 0.33 हैक्टेयर में मौके पर डामर सड़क सांचौर से हाडेचा चल रही है इसलिए उक्त खसरा नंबर भूमि की किस्म गैर मुमकिन दर्ज की गई। मौके पर गैर मुमकिन सड़क होने के कारण खसरा संख्या 554/3450 की किस्म गैर मुमकिन दर्ज है। जिसे बदला जाना उचित नहीं है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073, नकल नक्शा ट्रैश एवं राज पैरोकार तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत जवाब का गहनता से अवालेकन किया गया अतः दस्तावेज एवं जवाब राज पैरोकार से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 554/3450 रकबा 0.33 हैक्टेयर जो वर्तमान में डामर सड़क बनी हुई है जो सांचौर से हाड़ेचा चल रही है अतः उक्त खसरा नंबर की भूमि किस्म गैर मुमकिन सड़क दर्ज होने तथा वर्तमान में सड़क चलने से उक्त खसरा नंबर की किस्म बदला जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खसरा संख्या 554/3450 रकबा 0.33 हैक्टेयर में वर्तमान में डामर सड़क निर्मित है। अतः मौके पर गैर मुमकिन सड़क दर्ज होने तथा वर्तमान में सड़क उपयोग में होने से उपरोक्त खसरा नंबर की किस्म बदला जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:19 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक **08.11.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner